विहार विधान सभा वादवृत्त ।

सोमवार, तिथि १४ मई, १९५१ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १४ मई, १९५१ को संध्या ६-३० बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

मधुबनी कोर्ट में सत्याग्रह ।

८५ । श्री झूलन सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या उनका ध्यान स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के ३ अप्रैल १९५१ में प्रकाशित समाचार "सत्याग्रह इन मधुबनी कोर्ट कम्पाउन्ड" की ओर गया है ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर हां है तो इस सत्याग्रह का कारण क्या है, और इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) Ostensibly the Satyagrah is a demonstration for demanding more foodgrains for Madhubani Subdivision and provision for employment for people who are in distress.

Action taken by Government falls into two parts. The hon'ble member is no doubt aware of the very serious efforts which are being made by the State Government for obtaining a sufficient quantity of foodgrains from outside, which, ultimately, is the only way of meeting the situation which has arisen in Bihar. Government have been sending to Darbhanga, which is one of the worst affected districts, about one-sixth of the total quantity of foodgrains received in the State, and Madhubani Subdivision has received special attention. In course of three weeks in March, the number of Government foodgrain shops in the subdivision was increased from 70 to 227 ; in the week ending on the 31st March 1951, these shops sold 11,294 maunds of foodgrains to nearly four lakhs of people. While allotment for Darbhanga district was 7,000 tons in March, for April this has been increased to 9,000 tons. Minor irrigation works have been undertaken on a generous scale and in 1950-51 Rs. 7½ lakhs were allotted to Darbhanga under the Emergency Irrigation Scheme. Minor Irrigation Projects have been taken up almost in every chaukidari circle in Madhubani. In 1950-51 Government allotted

NOTE.—Short notice questions nos. 72 and 84 postponed.

सीवान और गोपालगंज में कपड़े की व्यवस्था।

A*१२१२। श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन नेशन के सायंकाल संस्करण के तारीख २१ अप्रैल, १९५१ तथा प्रातःकाल संस्करण, तारीख २२ अप्रैल, १९५१ के छपरा कलक्टर्स ऑर्डर्स कैन्सिल्ड बाइ सप्लाई डिपार्टमेंट शीर्षक समाचार की ओर गया है ;

(ख) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर कैंसिल करने का क्या कारण है, जब उन्होंने दो इम्पोर्टरों को सीवान और गोपालगंज में कपड़ा देने की व्यवस्था करने का ऑर्डर किया था ;

(ग) किस परिस्थिति में किस व्यक्ति विशेष की सिफारिश से ऐसा हुआ है, जब सरकार ने हाउस में प्रश्न के उत्तर में कहा था, कि दो इम्पोर्टरों को सीवान, गोपालगंज जाने का हुक्म हो गया है ;

(घ) यदि अनुखंड (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस तरह से शासन को बदनाम होने से बचाने का क्या विचार करती है, और जिले के प्रबन्ध में क्यों सप्लाई डिपार्टमेंट को अनवयु इन्टरफरेंस करने देती है, और कपड़े के वितरण में देरी करा कर जनता में असंतोष पैदा कराया जाता है ?

श्री बीरचन्द्र पटेल—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) बहुत से जिलों के सदर सबडिवीजन में इम्पोर्टर्स की संख्या अनुपात से अधिक है। जिला के हर एक भाग में बराबर बंटवारा के लिये सरकार ने जिलाधीशों को यह आदेश दिया है कि कुछ सदर सबडिवीजन के इम्पोर्टर्स को मोफस्सिल सबडिवीजन में काम करने के लिये भेजा जाय। चूंकि किसी खास इम्पोर्टर को स्थाई रूप से काम करने को भेजने से उसके तरफ से एतराज होता है इसलिये सरकार ने यह आदेश जिलाधीशों को दिया है कि सदर के सभी इम्पोर्टर्स बारी-बारी से जायेंगे और मुफस्सिल सबडिवीजन में जाने वाले इम्पोर्टर्स का चुनाव सरकारी लिस्ट के नम्बर १ इम्पोर्टर से शुरू होगा। उपरोक्त सरकारी आदेश-पत्र मिलने के पहले छपरा के कलक्टर ने सदर सबडिवीजन के दो इम्पोर्टर्स को स्थाई रूप में सीवान और गोपालगंज में काम करने के लिये चुना था। सरकारी आदेश-पत्र मिलने पर उन्होंने अपना पहला हुक्म रद्द किया और उपरोक्त आदेशानुसार मुफस्सिल सबडिवीजन में इम्पोर्टर भेजने का इन्तजाम किया।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। सदर सबडिवीजन के दो इम्पोर्टर्स गोपालगंज और सीवान में अब भी काम करेंगे जो जिलाधीश के हुक्म के अनुसार है। सिर्फ उन्होंने जो दो इम्पोर्टर पहले चुना था उनकी जगह पर सरकारी आदेशानुसार अन्य दूसरे दो को चुना है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

A—Postponed from the 9th, 10th and 11th May 1951 (as a special case).

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—क्या यह बात सही है कि सारन जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दो इम्पोर्टर्स को छपरा से सीवान और गोपालगंज भेजा था और उन्हें १०० गांठ कपड़ा सीवान और ९० गांठ गोपालगंज में बांटने के लिये एलौट किया था। लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को नहीं माना और सप्लाई डिपार्टमेंट ने यहां से उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और ३४ गांठ कपड़ा जो वहां पहुंच गया था वह वापस मंगा लिया गया हालांकि वहां कपड़े की बहुत दिक्कत थी ?

श्री बीरचन्द्र पटेल—इस प्रश्न के कई भाग हैं। पहला यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने २ इम्पोर्टर्स को भेजा था इसका जवाब दिया गया है कि उन्होंने दो इम्पोर्टर्स को कपड़ा एलौट कर दिया था, लेकिन वह ऑर्डर, जब सारे स्टेट के लिये एक प्रिंसिपुल बनाया गया उसके मुताबिक नहीं था। उन्होंने परमानेंटली २ इम्पोर्टर्स को सीवान और गोपालगंज भेज दिया था और सरकार का आदेश है कि रोटेशन से मुफस्सिल में इम्पोर्टर्स भेजे जायं ताकि सब पर बराबर बर्डेन रहे और यह रोटेशन सीनियरमोस्ट इम्पोर्टर से शुरू होगा। जहां तक कपड़ा के कोटा का सवाल है हर सबडिवीजन में जनसंख्या के अनुसार कोटा ठीक हुआ है और कपड़ा एलौट किया जाता है और इम्पोर्टर्स उसी हिसाब से रिटेलर्स को कपड़ा देते हैं।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—यह सिस्टम बाई रोटेशन का जो बताया गया है, यह कब शुरू हुआ, सीवान और गोपालगंज में जो इम्पोर्टर्स भेजे गये थे उनका ऑर्डर कैंसिल करने के बाद या उसके पहले ? और क्या उन्हीं की सुविधा के लिये पत्रों में ऐजीटेशन हुआ उसके बाद उस ऐक्शन को जस्टीफाई करने के लिये ?

श्री बीरचन्द्र पटेल—इसका जवाब दिया जा चुका है कि छपरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जूनियरमोस्ट इम्पोर्टर्स को भेजने का ऑर्डर दिया था और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार सीनियरमोस्ट इम्पोर्टर्स को पहले जाना चाहिये था।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—क्या यह बात सही है कि जो दो इम्पोर्टर्स में एक ३४ गांठ कपड़ा बांटने को ले गया उसे नहीं बांटना पड़ा और उनको वापस आना पड़ा और कपड़ा बांटने के पहले उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया ?

श्री बीरचन्द्र पटेल—सारे स्टेट की पौलिसी इन २ इम्पोर्टर्स के ३४ गांठ कपड़े के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती है। जब यह पाया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ज्यादा इम्पोर्टर्स हैं तो कोई असूल हमको बनाना ही था चुनांचे इसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के इम्पोर्टर्स को मुफस्सिल में भेजा गया और गवर्नमेंट ने यह तय किया कि सीनियरमोस्ट इम्पोर्टर्स को बाई रोटेशन जाना पड़ेगा। इसलिये जो सीनियर थे उन्हीं को सिवान और गोपालगंज भेजा गया।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—यह जो रोटेशन सिस्टम हुआ है यह सीवान और गोपालगंज में कपड़ा भेजे जाने के बाद हुआ है या पहले ?

श्री बीरचन्द्र पटेल—यह थ्रुआउट दी स्टेट अप्लीकेबुल है। अगर आप प्वायंट आफ टाईम जानना चाहते हैं तो उसका जवाब दे दिया गया है कि छपरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहले दो आदमी को एप्वायंट कर दिया था और गवर्नमेंट के कायदे के मुताबिक उनको हटना पड़ा।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल—क्या यह बात सही है कि गोपालगंज की जनसंख्या जिले की जनसंख्या का २७ प्रतिशत है और वहां कपड़ा ७ १/२ प्रतिशत के हिसाब से भेजा गया और छपरा की आबादी जिले की आबादी का ४० १/२ प्रतिशत है लेकिन कपड़ा वहां ६० प्रतिशत के हिसाब से मिलता है?

श्री बीरचन्द्र पटेल—सारे स्टेट में पोपुलेशन की बुनियाद पर कपड़ा दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। दी अनसर शुड बी टू दी प्वायंट। माननीय सदस्य का कहना है कि गोपालगंज की आबादी जिले की आबादी का २७ प्रतिशत है और कपड़ा दिया गया है ७ १/२ प्रतिशत के हिसाब से।

श्री बीरचन्द्र पटेल—दी अनसर इज इन दी नीगेटिव। पोपुलेशन के बेसिस पर कपड़ा दिया गया है।

श्री शंकर नाथ—यह कहा गया है कि सरकार ने रोटेशन सिस्टम कर दिया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के सिस्टम में यूनिफौरमिटी क्यों नहीं बरती जाती है? रोटेशन की क्यों जरूरत पड़ी जब पहले से सबडिवीजन में दो इम्पोर्टर्स काम करते आये हैं। एक यूनिफौर्म पौलिसी को नहीं रख कर क्या सरकार अपने ऊपर संदेह करने की स्थिति पैदा नहीं कर रही है?

श्री बीरचन्द्र पटेल—हुजूर, इस सवाल की न इब्तदा मालूम हुई और न इन्तहा समझ में आयी।

श्री शंकरनाथ—अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सवाल को नहीं समझ सकें तो आप ही उन्हें समझा दीजिये।

माननीय अध्यक्ष—आप यह सवाल पूछिये कि स्टेट में कहां-कहां रोटेशन सिस्टम है?

श्री बीरचन्द्र पटेल—सारे सूबे में रोटेशन सिस्टम है और उसी के आधार पर कपड़े के बेल्स का बंटवार होता है।

माननीय अध्यक्ष—स्टेट में इस पद्धति के अनुसार कहां-कहां काम हो रहा है?

श्री बीरचन्द्र पटेल—हरेक डिस्ट्रिक्ट अफसर को इन्सट्रक्शन भेज दिया गया है और कहां कैसे काम हो रहा है यह तो डीटेल की बात है और इसके लिये एक डीटेल्ड स्टेटमेंट की जरूरत होगी।

श्री शंकर नाथ—क्या सरकार को मालूम है कि गोपालगंज सबडिवीजन में इस रोटेशन सिस्टम के अनुसार इम्पोर्टर के यहां से कपड़ा नहीं गया है ?

श्री वीरचन्द्र पटेल—वहां १०० बेल कपड़ा भेजा गया है।

श्री शंकर नाथ—क्या सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं कि केवल कपड़े का वहां एलौटमेंट हुआ है और पहुंचा नहीं है ?

माननीय अध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। अभी जो डिबेट होने वाला है उसी समय आप इस प्रश्न को उठाइयेगा और उस समय इसका उत्तर विस्तारपूर्वक दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री को सूचित कर देता हूं कि उस समय यह प्रश्न उठाया जायेगा और वे इसका उत्तर देने के लिये तैयार रहेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर एक सप्लीमेंटरी पूछना था।

माननीय अध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। अब इस समय इस पर पूरक नहीं पूछा जायेगा। जब वादविवाद होगा उसी समय कपड़े के सम्बन्ध में जो कठिनाई या सरकार की जो गलती है उसे कहियेगा और माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे। उस समय आप विस्तारपूर्वक इस समस्या पर कह सकेंगे और उसी तरह से विस्तारपूर्वक उत्तर भी मिलेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

सबडिवीजनल औफिसरों के रूप में बहाल किये गये डिप्टी कलक्टरों की संख्या।

१२५। श्री वरियार हेम्ब्रम—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) कितने डिप्टी मजिस्ट्रेटों को एस० डी० ओ० के रूप में बहाल किया गया है ;

(ख) इन सबडिवीजनल अफसरों के नाम क्या हैं ?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) सम्प्रति ३७ डिप्टी मजिस्ट्रेटों और डिप्टी कलक्टरों को सदर तथा मुफस्सिल सबडिवीजनों के प्रभारी सबडिवीजनल अफसर के रूप में बहाल किया गया है। सम्प्रति २१ डिप्टी कलक्टर राजस्व (रेवेन्यू) एस० डी० ओ० के रूप में बहाल किये गये हैं।

(ख) सबडिवीजनल अफसरों और राजस्व सबडिवीजनल अफसरों के नाम का विवरण मेज पर है।